

Hindustan 28/05/2016

बिहार सरकार
बिहार सरकार, कृषि विभाग
बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती)

बामेती/आत्मा नोडल सेल पटना में रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन

1. बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती), पटना द्वारा उप निदेशक (लेखा/ कृषि/ क्रेडिट/ डेयरी टेक्नोलोजी/ प्रसार प्रबंधन/ मत्स्य/ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलोजी/ पशु विज्ञान/ सूचना तकनीक/ मास कम्प्यूनिकेशन एवं प्रकाशन) के कुल 10 पदों तथा स्टट कॉर्डिनेटर, जेण्डर कोर्डिनेटर के 01-01 पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु ऑन-लाईन (On-line) आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।
2. आवेदन पत्र भरने, नियोजन की प्रक्रिया एवं विभिन्न पदों पर नियोजन हेतु योग्यता, अनुभव तथा नियोजन की अन्य शर्तें कृषि विभाग के वेबसाईट www.krishi.bih.nic.in तथा बामेती के वेबसाईट www.bameti.org पर देखा एवं डाउनलोड किया जा सकता है।
3. आवेदन पत्र विज्ञापन की तिथि से दिनांक 16.06.2016 के 5.00 बजे अपराहन तक भरा जा सकता है तथा विशेष जानकारी बामेती, बिहार, पटना के कार्यालय से कार्यालय अवधि में प्राप्त की जा सकती है।

निदेशक
बामेती, बिहार, पटना

पी.आर.-2277 (कृषि) 16-17

काम करने के एवज में सरकारी सेवक वेतन पाते हैं घूस नहीं

बिहार सरकार, कृषि विभाग
बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती)

नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलोजी के अधीन सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (आत्मा योजना) के अंतर्गत संचालित बामेती/स्टेट नोडल सेल पटना में रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन

- परिचय – नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलोजी के अधीन सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (आत्मा योजना) के अंतर्गत संचालित बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती), पटना एवं राज्य आत्मा नोडल सेल में निम्न रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन के लिए ऑन-लाईन (On-line) आवेदनपत्र आमंत्रित किये जाते हैं।
- बामेती/स्टेट नोडल सेल (आत्मा) में रिक्त पदों का विवरण (शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य अनुभव सहित) निम्नप्रकार से है-

| S. No. | Particulars | No. of Post and Categories | Essential Qualifications | Experience | Fixed Salary/ Emolument (Rs. per month) |
|--------|------------------------------------|----------------------------|--|--|---|
| 1. | Deputy Director (Accounts) | 01 (General) | Post Graduation in the respective area (Accounts) with Computer Operation Certificate of minimum 03 months duration. | Experience of 06 years in the respective field (Accounts) from a reputed organization/ institution | 37268/- |
| 2. | Deputy Director (Agriculture) | 01 (EBC) | Post Graduation in the respective area (Agriculture) with Computer Operation Certificate of minimum 03 months duration. | Experience of 06 years in the respective field (Agriculture) from a reputed organization/ institution | 37268/- |
| 3. | Deputy Director (Credit) | 01 (SC) | Post Graduation in the respective area (Credit) with Computer Operation Certificate of minimum 03 months duration. | Experience of 06 years in the respective field (Credit) from a reputed organization/ institution | 37268/- |
| 4. | Deputy Director (Dairy Technology) | 01 (General) | Post Graduation in the respective area (Dairy Technology) with Computer Operation Certificate of minimum 03 months duration. | Experience of 06 years in the respective field (Dairy Technology) from a reputed organization/ institution | 37268/- |

| | | | | | |
|-----|---|-----------------|--|--|---------|
| 5. | Deputy Director (Extension Management) | 01 (BC) | Post Graduation in the respective area (Extension Management) with Computer Operation Certificate of minimum 03 months duration. | Experience of 06 years in the respective field (Extension Management) from a reputed organization/ institution | 37268/- |
| 6. | Deputy Director (Fishery Science) | 01 (BC) | Post Graduation in the respective area (Fishery Science) with Computer Operation Certificate of minimum 03 months duration. | Experience of 06 years in the respective field (Fishery Science) from a reputed organization/ institution | 37268/- |
| 7. | Deputy Director (Post -Harvest Technology) | 01 (General) | Post Graduation in the respective area (Post- Harvest Technology) with Computer Operation Certificate of minimum 03 months duration. | Experience of 06 years in the respective field (Post Harvest Technology) from a reputed organization/ institution | 37268/- |
| 8. | Deputy Director (Veterinary Science) | 01 (SC) | Post Graduation in the respective area (Veterinary Science) with Computer Operation Certificate of minimum 03 months duration. | Experience of 06 years in the respective field (Veterinary Science) from a reputed organization/ institution | 37268/- |
| 9. | Deputy Director (Information Technology) | 01 (General) | Post Graduation in the respective area (Information Technology/M.C.A./ M.Sc. in Computer Science) | Experience of 06 years in the respective field (Information Technology /M.C.A./ M.Sc. in Computer Science) from a reputed organization/ institution | 37268/- |
| 10. | Deputy Director (Mass Communication and Publication) | 01 (EBC) | M.Sc. in Agriculture Extension/ Master Degree in Mass Communication & Publication | Experience of 06 years in the respective field (Agriculture Extension/Mass Communication & Publication) from a reputed organization/ institution | 37268/- |

| | | | | | |
|-----|--------------------|-----------------|--|---|---------|
| 11. | State Coordinator | 01 (General) | Doctorate or Post Graduate degree in Agriculture (Agriculture Extension, Agronomy, Horticulture, Soil Sciences, Agriculture Economics, Entomology, Plant Pathology, Plant Breeding & Genetics etc) and allied sector | Minimum 10 years of experience in coordination and planning for PhDs and 20 yrs of master degree. | 36300/- |
| 12. | Gender Coordinator | 01 (General) | Post Graduate degree in Agriculture and allied sector including Home Science, Extension or Sociology & Biotechnology. | Minimum 05 years experience in agricultural extension or gender related work. | 36300/- |

3. संविदा पर नियोजन हेतु पात्रता:

- अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो।
- उम्र सीमा – दिनांक 01.01.2016 को State Coordinator के लिए अधिकतम 65 वर्ष एवं अन्य पदों के लिए अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए।

4. चयन में अधिमान्यता – बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के संविदा आधारित नियोजन के लिए निर्गत संकल्प के अनुसार उपर्युक्त पदों के लिए निर्धारित अनुभव वर्ष से अधिक अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को अंकों में अधिमान्यता निम्न प्रकार से दी जाएगी –

| | |
|---|----------|
| निर्धारित अनुभव वर्ष से 01 वर्ष का अतिरिक्त कार्य अनुभव | – 02 अंक |
| निर्धारित अनुभव वर्ष से 02 वर्ष का अतिरिक्त कार्य अनुभव | – 04 अंक |
| निर्धारित अनुभव वर्ष से 03 वर्ष का अतिरिक्त कार्य अनुभव | – 06 अंक |
| निर्धारित अनुभव वर्ष से 04 वर्ष का अतिरिक्त कार्य अनुभव | – 08 अंक |
| निर्धारित अनुभव वर्ष से 05 वर्ष का अतिरिक्त कार्य अनुभव | – 10 अंक |

5. संविदा के आधार पर नियोजन हेतु चयन समिति निम्न प्रकार गठित होगी–

| | |
|--|--------------|
| निदेशक, कृषि, बिहार, पटना अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी | – अध्यक्ष |
| निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी | – सदस्य |
| निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी | – सदस्य |
| संयुक्त निदेशक (रसायन) कम्पोस्ट एवं बायोगैस–सह–प्रभारी पदाधिकारी, आत्मा योजना | – सदस्य |
| कृषि उत्पादन आयुक्त–सह–राज्य नोडल पदाधिकारी (आत्मा योजना) द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के एक पदाधिकारी | – सदस्य |
| निदेशक, बामेती | – सदस्य सचिव |

- निदेशक, बामेती, बिहार, पटना “नियोजन प्राधिकार” की जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे।

- आवेदनों की संख्या ज्यादा होने पर कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार के अनुमोदन से द्वितीय चयन समिति का भी गठन किया जा सकता है।

6. **आरक्षण** – बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं में सीधी नियुक्ति के लिये समय-समय पर निर्धारित आरक्षण प्रावधान वर्तमान नियोजन में लागू होंगे।

7. **आवेदन देने की प्रक्रिया** –

- आवेदन ऑन-लाइन ही स्वीकार किया जाएगा।
- आवेदन पत्र बामेती के वेबसाइट www.bameti.org तथा कृषि विभाग, बिहार के वेबसाइट www.krishi.bih.nic.in के माध्यम से किया जा सकता है।
- **On-line** आवेदन पत्र विज्ञापन की तिथि से दिनांक 16.06.2016 तक Submit किया जा सकता है।

8. **नियोजन हेतु समय सीमा का निर्धारण** –

| क्र०सं० | कार्य का विवरण | समय सीमा | दायित्व |
|---------|---|-----------------------|--------------|
| 1. | ऑन लाईन आवेदन का समय | 16 जून, 2016 | NIC |
| 2. | संपूर्ण आवेदन की सूची तथा Draft List of Shortlisted Candidates का प्रकाशन | 17 जून, 2016 | NIC / बामेती |
| 3. | आवेदक अपनी आपत्ति NIC को भेज सकेंगे | 18-22 जून, 2016 | NIC |
| 4. | आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात Final List of Shortlisted Candidates का प्रकाशन | 23-24 जून, 2016 | NIC / बामेती |
| 5. | Final List of Shortlisted Candidates द्वारा प्रमाणपत्रों को वेबसाइट पर अपलोडिंग | 25-29 जून, 2016 | NIC / बामेती |
| 6. | प्रमाणपत्रों को डाउनलोड एवं सत्यापन | 30 जून-04 जुलाई, 2016 | बामेती |
| 7. | पदवार अंतिम सूची का प्रकाशन | 07 जुलाई, 2016 | NIC / बामेती |

- अंतिम सूची प्रकाशन के उपरांत आवेदकों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

9. **चयन की प्रक्रिया**–

- इन पदों पर संविदा आधारित नियोजन के लिए साक्षात्कार 30 अंकों का होगा तथा साक्षात्कार कंडिका सं० 5 में प्रस्तावित चयन समिति के समक्ष आयोजित होगा।
- बामेती/आत्मा/सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्थानों में कार्य करने वाले को अधिमान्यता कंडिका 4 के अनुसार दी जाएगी।
- साक्षात्कार एवं अधिमान्यता के अंकों को जोड़कर वरीयता सूची बनायी जाएगी तथा सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले आवेदक को नियोजित करने हेतु समिति द्वारा अनुशंसा की जाएगी। शेष आवेदकों का वरीयता (अंकों के प्राप्तांक) के आधार पर प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी। किसी कारण से सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के योगदान

नहीं करने अथवा नियोजन किसी कारणवश रद्द होने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची के प्रथम वरीयता प्राप्त अभ्यर्थी का नियोजन निदेशक, बामेती द्वारा सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोपरांत किया जाएगा।

- iv. चयनित उम्मीदवार के प्रमाणपत्रों के सत्यापन के पश्चात ही उनके नियत वेतन आदि का भुगतान किया जाएगा।
10. **एकरारनामा** – संविदा आधारित नियोजन के पूर्व चयनित अभ्यर्थी एवं निदेशक बामेती, बिहार, पटना के बीच एक एकरारनामा संलग्न निर्धारित प्रपत्र में किया जायेगा।
11. **नियोजन की अवधि** – संविदा के आधार पर नियोजन तीन (03) वर्ष के लिए होगा। कार्य संतोषजनक पाए जाने तथा योजना की स्वीकृति के उपरांत सक्षम प्राधिकार द्वारा अवधि विस्तार किया जा सकेगा। कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर, मूल्यांकन के आधार पर, कभी भी सेवामुक्त किया जा सकता है।
12. **नियोजन की समाप्ति** – अनुबंध की अवधि समाप्ति के पूर्व यदि नियोजित व्यक्ति का अवधि विस्तार सक्षम प्राधिकार से नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका नियोजन स्वतः समाप्त माना जायेगा और इसके लिये कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
13. **अपीलीय प्राधिकार** – निदेशक, बामेती के प्रतिवेदन के आधार पर नियोजित कर्मियों को हटाने का अधिकार राज्य नोडल पदाधिकारी (आत्मा योजना) को होगा। नियोजन के संबंध में किसी भी प्रकार की अपील कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना के स्तर पर की जायेगी, जिनका निर्णय अंतिम होगा।
14. **संविदा पर नियोजित कर्मियों का दायित्व** – कृषि मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत मार्गनिर्देशों के आलोक में अंतर्विभागीय कार्यसमूह (IDWG), बामेती शासी परिषद, बामेती कार्यकारिणी समिति एवं निदेशक बामेती द्वारा निर्धारित दायित्वों का निर्वहन नियोजित कर्मियों को करना होगा। संविदा पर नियोजित कर्मियों का मुख्य दायित्व बामेती के माध्यम से आत्मा योजना का सफल एवं पारदर्शी तरीके से कार्यान्वयन सुनिश्चित करना होगा।
15. **अवधि विस्तार की अधिसीमा**— चूँकि आत्मा योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, अतएव संविदा के आधार पर यह नियोजन तभी तक मान्य होगा जब तक आत्मा योजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार से योजना की स्वीकृति तथा आवश्यक निधि (Fund) प्राप्त होती रहेगी तथा पदाधिकारी का कार्य संतोषजनक पाया जायेगा।



10/2/16

निदेशक

बामेती, बिहार, पटना